न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर।

सी.एन.आर. सं०–UPJP010012262026

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–211/2026

पंजीयन संख्या–470/2026

विकास पटेल पुत्र लालबहादुर पटेल

निवासी, ग्राम सतहरिया मण्डी गेट के सामने, थाना मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0 अ 0 सं0–24/2026

धारा–305, 317(2), 331(4) भा०न्या०सं०।

थाना– मुंगरा बादशाहपुर, जनपद–जौनपुर।

दिनांक–12.03.2026

आवेदक/अभियुक्त विकास पटेल द्वारा मु0 अ 0 सं0–24/2026, धारा–305, 317(2), 331(4) भा०न्या०सं०, थाना–मुंगरा बादशाहपुर, जनपद–जौनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पवन केसरवानी द्वारा इस आशय की तहरीर थाना मुंगराबादशाहपुर पर दी गयी कि मेरी दुकान स्टेशन रोड पर किराने की स्थित है, जिसमें दिनाँक 29.01.2026 को ताला काटकर मेरी दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा सामान को चोरी हो गयी है, जिसमें काजू, बादाम, रामदाना, लौंग, बड़ी लाची इत्यादि व गल्ले में कुछ कैश थे, जिसका विवरण मैं अलग से दूंगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना मुंगरा बादशाहपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 24/2026 अन्तर्गत धारा– 305, 331(4), 317(2) भा०न्या०सं० में पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। उपरोक्त मुकदमें में फर्जी ढंग से अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक द्वारा आरोपित धाराओं का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। वादी द्वारा आवेदक को दुकान का ताला काटते तथा सामान व नगद चोरी करते हुए नहीं देखा गया है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलंब से अंकित करायी गयी है, जिसका कोई समुचित स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। सह–अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक का यह प्रथम जमानत दरख्वास्त है, कोई अन्य जमानत दरख्वास्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक, जौनपुर ने जमानत का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि शिकायतकर्ता की किराना दुकान का ताला तोड़ने के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। एफ.आई.आर. में आवेदक/आरोपी का नाम नहीं है, लेकिन दौरान विवेचना आवेदक का नाम प्रकाश में आया है। यह अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। विवेचना जारी है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक प्रस्तुत नहीं किया गया है। सह–अभियुक्तगण सोनू मौर्या व अजीत पटेल उर्फ कप्तान की जमानत दिनाँक 18.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.12 15:47:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur.

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विकास पटेल द्वारा मु0 अ 0 सं0–24/2026, धारा–305, 317(2), 331(4) भा०न्या०सं०, थाना–मुंगरा बादशाहपुर, जनपद–जौनपुर के प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–रू0 (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व उतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह दौरान विचारण प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगी, साक्षीगण को डराने, धमकाने का प्रयास नहीं करेगा तथा किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा। जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी जाएगी।

<u>दिनांकः–12.03.2026</u>

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112